

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

कमांक-एफ 11 (3)नाबार्ड/मों./आइसी/2009/105/ जयपुर, दिनांक

59/30/651

3.8.09

उपनिदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषय- नाबार्ड के सहयोग से आंगनवाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2009-10 की बजट घोषणाओं के अनुच्छेद 98 में घोषणा की है कि "राज्य सरकार चालू वर्ष में 380 आंगनवाडी केन्द्रों के नवीन भवनों का नाबार्ड के सहयोग से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है"। बजट घोषणा की पालना के क्रम में राज्य में 380 आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य करवाये जाने है के लिए आपके जिले की परियोजनाओं से निःशुल्क भूमि के पट्टे प्राप्त कर परियोजनावार केन्द्रों की सुची निदेशालय को शीघ्र भिजवायें। एक परियोजना से किराये में संचालित अधिकतम 5 केन्द्रों को सम्मिलित करते हुये सुची भिजवायें।

उपनिदेशक व परियोजना अधिकारी द्वारा केन्द्रों की सुची पर यह प्रमाणित करेगें कि निःशुल्क भूमि आवंटन पट्टों की जांच कर ली गई है। आंगनवाडी केन्द्र आवंटन का स्थल आंगनवाडी संचालन के लिए उपयुक्त है।

380 आंगनवाडी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 में पूर्ण किया जाना है। उपरोक्त प्रमाण-पत्र के साथ परियोजनावार किराये में संचालित पांच आंगनवाडी केन्द्रों की सुची निदेशालय को 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा सकें।

इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

(signed)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि - निकासिपर 3 अंगणवाडी बनाने हेतु।